

फर्द अहकाम

जगदीश

बनाम गिखर सिंह

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 41/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

06⁰⁶/₂₄

18/4/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक.....6/6/24...को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। शर्मा अधिवक्ता दारिद्र्य अप्रार्थी सं. 1 लगा ॥ कि सच्यत तामील मान्य जागर मूल वादपत्र के एक तरफा कार्यवाही अमल के लाई जा चुकी है अतः इस प्र-पत्र के भी अप्रार्थी सं. 1 लगा ॥ कि विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

शर्मा अधिवक्ता की प्र-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बदल चुकी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं शर्मा अधिवक्ता की बदल पर मन्त्र करने के उपरान्त उचित समझते हुए विवादित आराजी खसरा न-

52, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 63, 63/1, 63/2, 63/3 कुल क्तिता 10 कुल

खसरा 2.2509 हेम्टे स्थित ग्राम

चतरपुरा प-ह- काशीपुरा भू-अ-नि.

द्वैवगांव तह-तूंगा नि-जयपुर के

संबंध में उन्नयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

उन्नयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर

फर्द अहकाम

बनाम गिरवर छिंट

जगदीश

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 41/2023


क्रम
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

ताफेसुली वाद 9 में 1 एवं रिकार्ड
की यथास्थिति बनाये रखे

पत्रावली नम्बर से कम होकर
वाद तत्काल दायिल दफ्तर हो


सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण